# न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी श्री प्रेमाराम परमार आर.ए.एस.

अपील सं. 36/2016

1. बचनकौर पत्नी किशनाराम
2. बलवीरकौर पुत्री किशनाराम
3. करनेलसिंह पुत्र किशनाराम
4. महेन्द्रकौर आत्मजन किशनाराम

जाति बावरी निवासी 11 जी छोटी तहसील व जिला श्रीगंगानगर

—अपीलार्थीगण

बनाम

1. रामरख आत्मज कालाराम जाति बावरी निवासी 11 जी छोटी तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार श्रीगंगानगर।

— रेस्पोंडेन्टान

अपील अन्तर्गत धारा 223 रा.का.अ. 1955
विरूद्ध आदेश सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रेक) श्रीगंगानगर
दिनांक 28.01.2016

उपस्थित
श्री बचनसिंह अभिभाषक अपीलांट्स
श्री इकबालसिंह सिद्धु राजकीय अधिवक्ता

निर्णय दिनांक 04.12.2017

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि वादी किशनाराम ने एक वाद न्यायालय उपखंड अधिकारी श्रीगंगानगर के समक्ष रा.का.अ. की धारा 88, 91,188 का पेश कर कथन किया कि वादी तथा प्रतिवादी दोनों ही सगे भाई है तथा कालासिंह की सन्तान है। दोनों भाईयों को पुनर्वास विभाग द्वारा चक 11 जी छोटी के मु.न. 29, 30, 65 की 37.10 बीघा भूमि का आवंटन किया गया था। ऐसी स्थिति में वादी एवं प्रतिवादी दोनों ही भूमि के ब.हि.ब. के हकदार है। प्रतिवादी सं0 1 परिवार का मुखिया होने के कारण विवादित भूमि उसके नाम से दर्ज रिकार्ड में दर्ज की गई है। दोनों की सहमति से आपस में विभाजन कर काश्त करते आ रहें

4/12/17
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

है। प्रतिवादी सं0 1 ने उक्त भूमि की सनद अकेले अपने नाम जारी करवा ली। जबकि पारिवारिक समझोता से पिछले 50 वर्षो से 18.10 बीघा भूमि पर वादी का कब्जा काश्त चला आ रहा है। वादी अपने हिस्से की 18.10 बीघा भूमि की खातेदारी घोषित करवाने का अधिकारी है। अतः निवेदन है कि वादी का वाद स्वीकार किया जावे।

प्रतिवादी ने जबाव दावा पेश कर कथन किया कि 37.10 बीघा भूमि प्रतिवादी अकेले को आवंटन हुई थी एवं उसी का कब्जा काश्त चला आ रहा है एवं सनद भी प्रतिवादी के नाम से जारी हुई है। वादी ने गलत आधार पर वाद पेश किया है जो खारिज किया जावे।

दावा एवं जबाव दावा के आधार पर 5 वाद बिन्दु कायम किये गये सुनवाई करने के पश्चात अधी.न्यायालय ने वाद आंशिक रूप से स्वीकार किया गया। जिसके विरूद्ध अपीलार्थीगण ने यह अपील पेश की है।

रेस्पो.सं. 1 दिनांक 02.08.2017 को स्वयं उपस्थित आया था उसके पश्चात न तो वह स्वयं उपस्थित आया और न ही उसकी ओर से कोई अधिवक्ता उपस्थित आया। ऐसी स्थिति वकील अपीलांट की एक पक्षीय बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने मुख्य रूप से अपील मीमों एवं वाद पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अधी.न्यायालय में वादी द्वारा तनकी सं0 1 को पूर्ण रूप से साबित किया था फिर भी इसका निर्णय वादी के विरूद्ध कर दिया एवं तनकी सं0 2 व 3 का निर्णय वादी के पक्ष में किया गया है। तनकी सं0 4 का निर्णय वादी के विरूद्ध करने में अधी.न्यायालय ने भूल की है। अधी.न्यायालय में यह तथ्य साबित था कि 18.10 बीघा भूमि का हक वादी का बनता है एवं जिस पर लगातार कब्जा काश्त चला आ रहा है। अतः निवेदन है कि अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त करते हुए वाद वादी स्वीकार किया जावें ।

अपील अधी. न्यायालय सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रेक) श्रीगंगानगर के निर्णय दिनांक 28.01.2016 के विरूद्ध पेश की है जिसमें वादी का वाद आंशिक रूप से स्वीकार कर विवादित आराजी पर वादी/अपीलांट का कब्जा साबित व प्रमाणित

4/12/17
राजस्व अपील अधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

मानकर प्रतिवादी/रेस्पो. को स्थाई निषेधाज्ञा से पावन्द तो किया जबकि दावा पूर्ण स्वीकार योग्य होकर खातेदारी नही दी गई है। अतः अधी.न्यायालय का निर्णय अपास्त करने का अनुतोष चाहा है।

अधी. न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया। प्रकरण पाक विस्थापित के पुनर्वास के सम्बन्ध में बने कानूनों से सम्बन्धित होकर अधी. न्यायालय द्वारा परिक्षित दस्तावेजी साक्ष्य प्रदर्श Ex P1 बेसिक रजिस्टर के इन्द्राजात अनुसार अपीलांटस के पूर्वज किशनाराम व रेस्पो. रामरख दोनों के ही नाम दर्ज होकर claim भी दोनों के नाम पारित होना प्रमाणित है तथ अन्य दस्तावेजी साक्ष्य प्रदर्श Ex P 4 जमाबंदी में विवादित आराजी 50% अलाटी रामरख रेस्पो. के नाम व 50% काश्त अपीलांट किशनाराम के नाम अंकित की गई है। जमाबंदी में काश्त अंकित करने के कोई प्रावधान नहीं है, जमाबंदी तहरीर की यह त्रुटि काश्त की जगह हिस्सा न लिखने से होना प्रतीत होता है जिसका खामियाजा अपीलांट इतने वर्षो से भुगत रहा है यही नहीं अधी.न्यायालय द्वारा विवादित आराजी के सम्बन्ध में बनी तनकी संख्या–2 वादी के पक्ष में विनिश्चित की है जिसका सार है कि विवादित आराजी का आधे हिस्से पर अपीलांट का कब्जा साबित होकर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 188 का अनुतोष तो दे दिया परन्तु धारा 88 की Relief इस आधार पर खारिज की कि प्रतिकूल कब्जे के आधार पर खातेदारी दिये जाने के प्रावधान नहीं होना विवेचित कर खातेदारी नही दी गई। अधी.न्यायालय द्वारा तथ्यों एवं विधि का गलत विवेचन किया है। प्रथमतः तथ्यों के अनुसार यह रेकार्ड से साबित है कि claim अपीलांट व रेस्पो. दोनों के ही नाम पारित हुआ है। अतः सनद भी दोनों ही नाम से जारी होना विधि अनुकूल था जो जारी न होना नियम विरूद्ध है तथा जमाबंदी तहरीर में भी अपीलांट व रेस्पो. दोनों के ही नाम अंकित होकर अपीलांट की 50% काश्त व रेस्पो. 50% आयटी दर्शाया है जो नियमों में निहित नहीं है। यह त्रुटि काश्त के बजाय हिस्सा अंकित योग्य होकर इस अनुरूप दुरस्त की जाती है तथा कब्जा अपीलांट का साबित ही नहीं अपितु राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 183 के अन्तर्गत अपीलांट को मियाद के बिन्दु अनुसार बेदखल करना विधि द्वारा वर्जित है एवं राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

1955 की धारा 63 (iv) के प्रावधानुसार रेस्पो. विवादित आराजी के आधे हिस्से जो अपीलांट के कब्जे काश्त में है के खातेदारी अधिकार Extinguish हो चुके है। ऐसी स्थिति में खातेदारी अधिकार In-medio रह नहीं सकते तो किसे मिलने चाहिए, सुविधा का सन्तुलन अपीलांट के पक्ष में होना माना जाकर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 28.01.2016 अपास्त किया जाता है। अपीलांट को आधे हिस्से की भूमि का खातेदार घोषित किया जाता है।

निर्णय दिनांक 04.12.2017 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

4/12/17

(प्रेमाराम परमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर

# डिक्री व सीगे अपील

(ओ.41 रूल 35, जाब्ता दिवानी)

## न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर

इजलास श्री प्रेमाराम परमार, आर.ए.एस., राजस्व अपील प्राधिकारी,

1. बचनकौर पत्नी किशनाराम
2. बलवीरकौर पुत्री किशनाराम
3. करनैलसिंह पुत्र किशनाराम
4. महेन्द्रकौर आत्मजन किशनाराम

} जाति बावरी निवासी 11 जी छोटी तहसील व जिला श्रीगंगानगर

—अपीलार्थीगण

बनाम

1. रामरख आत्मज कालाराम जाति बावरी निवासी 11 जी छोटी तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार श्रीगंगानगर। —रेस्पोडेन्टान

अपील संख्या 36/2016 व नाराजगी डिक्री अदालत सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) श्रीगंगानगर निर्णय दिनांक 28.01.2016

दावा बाबत

यह अपील व तारीख 04 माह 12 सन् 2017 रूबरू मुझ हाजरी श्री बचनसिंह अभिभाषक मिन्जानिब अपीलांट्स व श्री इकबालसिंह सिद्धू राजकीय अधिवक्ता समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 28.01.2016 अपास्त किया जाता है। अपीलांट को आधे हिस्से की भूमि का खातेदार घोषित किया जाता है।

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेर तादादी मुबलिग...X...) रुपये X अदा करें खर्चा मुकदमा मातहत का ...X... अदा करें।

बतबत मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख 04.12.2017 को जारी किया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर

राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)